

(vi) **THREATENED STRIKE IN THE NATIONAL SCHOOL OF DRAMA, NEW DELHI**

**SHRI KAZI JALI ABBASI** (Domriagaj): The threatened strike in the National School of Drama, New Delhi, from November 26 is a serious matter, deserving our consideration.

This important institution which has already made a solid contribution to the country's dramatic life and has produced a large number of artists in various disciplines including the film industry, has been witnessing troubled times recently. The suicide of a young student, a few weeks ago, was a very serious matter. And, we are told the causes of the unrest, which culminated in the tragic suicide of a young artist do need our immediate attention.

We have to be careful that no decision is taken in a hurry about selecting a worthy head of the institution. Many things have to be taken into consideration before selecting the new Director against the post that is lying vacant for some time and that has been the cause for much of the unrest. If no one from the products of the School is found capable, some outstanding theatre personality from outside should be invited to head the institution.

A new committee to go into the School's present problems may as well be asked to probe and submit a quick report.

(vii) **CANCELLATION OF ARMS LICENCES ISSUED TO DIFFERENT SECTIONS OF SOCIETY**

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : (सैदपुर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री का ध्यान देश के हरिजनों पिछड़े वर्गों अल्प-संख्यकों को दिये जाने वाले पिस्तोलों एवं बन्दूक के सन्दर्भ में ले जाना चाहता हूँ आपको स्मरण होगा कि दिनांक 23 नवम्बर 1981 को लोक सभा में अनेक माननीय सदस्यों ने माँग की थी

कि इन वर्गों की इनके आत्म-रक्षण उद्धार भावना से उक्त लाइसेंस वितरित किये जाएं ताकि पीड़ित लोग भी इनका मुकाबला करें।

मान्यवर इसमें सन्देह नहीं कि आज इन वर्गों की लाइसेंस वितरित करने में भारी अनियमितता एवं भाई-भर्जातावाद बरता जा रहा है। जातियता के आधार पर केवल उच्च लोगों को आज लाइसेंस दिये जाते हैं। परिणामस्वरूप गांवों में देवली जिला मैनपुरी जैसा नरसंहार निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। मैं इस सन्दर्भ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सैदपुर, वाराणसी, गाजीपुर एवं जौनपुर का उदाहरण देना चाहूंगा। सैदपुर संसदीय क्षेत्र में छोटे-बड़े चार हजार गांव हैं। इन गांवों में कुल 6128 बन्दूकों का लाइसेंस दिया गया है। इसमें से 5,178 लाइसेंस आर्थिक रूप से सम्पन्न एवं ऊँची जाति के लोगों को दिया गया है। शेष 950 लाइसेंस छोटे और जाति-व्यवस्था में नीची श्रेणी के लोगों को दिया गया है। आज सैदपुर संसदीय क्षेत्र में 8,000 बन्दूक लाइसेंस हेतु आवेदन विचाराधीन हैं। इनमें से लगभग 6 हजार लाइसेंस केवल छोटी श्रेणी के लोगों के हैं। मान्यवर, यह कहने में जरा सा भी संकोच नहीं होता कि बड़ी जातियाँ एवं बड़े लोगों को जिलाधीश तथा पुलिस अधीक्षक तुरन्त लाइसेंस दे देते हैं। कमजोर और नीची जाति के लोगों को अनेक प्रकार का बहाना बना कर निराधार कारणों के द्वारा लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया जाता है।

इस सन्दर्भ में मैं आग्रह करूंगा कि इस समस्त नरसंहार की जड़ यह लाइसेंस वितरण प्रणाली ही है। कुछ खास लोगों को बन्दूक और पिस्तौल का अधिक लाइसेंस देना, कुछ को एक भी लाइसेंस